Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

<u>अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार</u>

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 127 ⁄ 2004 सी.आई.एस.क्र.– 127 ⁄ 2004

ईश्वरचन्द यादव एवं अन्य बनाम अमरेन्द्र यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
24.07.2025	वादी एवं प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 एवं 2ए एवं 2बी तथा अन्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र पोद्दार की हाजरी है। यह वाद प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30.05.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि स्वत्व वाद सं0 67 ⁄ 1964 के अनुसूची – ''ए'' में प्राप्त वाद भूमि जो निबंधित दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 दिनांक 18.04.1963 को वादी एवं प्रतिवादी के दादी मसोमात जिनसी देवी द्वारा वादी ईश्वरचन्द यादव एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र यादव के नाम से निबंधित दान पत्र निष्पादित किया गया है जो संयुक्त संपत्ति है। वादी ईश्वरचन्द यादव ने अपने साक्ष्य के क्रम में यह स्वीकार किया है कि जिनसी देवी मेरी दादी है जिन्होने सीलिंग से जमीन बचाने हेतु दो निबंधित दान–पत्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 के नाम से निष्पादित किया था जो संयुक्त संपत्ति है और इस वाद में सभी बराबर के हिस्सेदार हैं। वादी के द्वारा दिनांक 16.03.2020 को **साक्ष्य अधिनियम की धारा 90** के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर निबंधित दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 दिनांक 18.04.1963 को वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में सावर्जनिक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित करने हेतु न्यायालय से प्रार्थना किया था जिसके आलोक में दान–पत्र सं0 7639, दिनांक 18.04. 1963 सावर्जनिक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित किया गया है परंतु निबंधित दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 प्रदर्शित नहीं हो सका है। दान–पत्र सं0 7638 की प्रमाणित प्रति प्रतिवादीगण के द्वारा अपनी अभिरक्षा से दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है जिस कारण से उसे साबित किये जाने हेतु गवाह को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अतः निवेदन है कि निबंधित दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाये। प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में **पी.एल.जे.आर. 2014 वॉल्यूम – 1 से 3, पृष्ठ सं0 – 21** प्रतिपादित न्याय दृष्टांत समर्पित किया गया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की दादी मसोमात जिनसी देवी के द्वारा निबंधित दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 के द्वारा क्रमशः वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र यादव के पक्ष में दान–पत्र निष्पादित कर वाद भूमि को दान में दिया गया था। दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 दोनो में वर्णित भूमि पूर्ण रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की है तथा प्रतिवादीगण का यह कहना बिल्कुल गलत है कि उक्त दान–पत्र की भूमि संयुक्त संपत्ति है जिसका समर्थन प्रतिवादी साक्षी सं0 1 उदयानंद सिंह ने अपने प्रतिपरीक्षण में किया है। प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के अपने साक्ष्य के पैरा सं0 21 में वर्णित कथन का गलत विवेचन किया गया है कि वादी ने यह स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की दादी जिनसी देवी ने सीलिंग से जमीन को बचाने के लिये संयुक्त परिवार की संपत्ति को वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 को दान किया है जिस कारण से उक्त संपत्ति विभाजन किये जाने योग्य है। दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 को औपचारिक साक्ष्य से साबित किया जाना आवश्यक है। वादी की ओर से आगे समर्पित किया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने रतन सिंह एवं अन्य बनाम निर्मल गिल एवं अन्य तथा	

लगातार 24.07.2025	इंदरपाल सिंह एवं अन्य बनाम निर्मल गिल एवं अन्य सिविल अपील सं0 3681, 3682/2020 में प्रतिपादित किया है कि ''जहां 30 वर्ष पुराना कोई दस्तावेज साबित किया गया है और अभिरक्षा से प्रस्तुत किया गया है वहां न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है उस व्यक्ति के हस्तलेख में है और निष्पादित या अनुप्रमाणित होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गयी है जिसके द्वारा उसका निष्पादित एवं अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।'' इसी आशय का मंतव्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा उमाशंकर सिंह एवं अन्य बनाम केशव सिंह एवं अन्य पी.एल.जे.आर. 2014(3) पेज – 121–122 में वर्णित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि 30 वर्ष पुराना दस्तावेज को साबित करने के लिये औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नहीं है। अतः दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 लोक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 2ए एवं 2बी एवं प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र पोद्दार एवं अन्य प्रतिवादी के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद वाद भूमि में अपने हिस्से के लिये दाखिल किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि दिनांक 16.03.2020 को प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में निष्पादित दान–पत्र सं0 7639, दिनांक 18.04.1963 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श अंकित किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था जिसे न्यायालय के द्वारा प्रतिवादीगण की आपत्ति न होने से दिनांक 12.04.2022 को प्रदर्श अंकित किया गया है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह आवेदन दिनांक 21.09.2020 को प्रस्तुत दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 की प्रमाणित प्रति को प्रदर्श अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी साक्षी सं0 2 वादी ईश्वरचन्द यादव ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 39 में यह समर्पित किया है कि *''यह सही है कि जिनसी देवी ने डीड नं0 7638 एवं 7639 दिनांक 18.04.1963 को वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 को लगभग 27 एकड़ जमीन गिफ्ट की थी। दोनो डीड की भूमि इस वाद में वाद भूमि है।''* जिससे यह स्पष्ट है कि वादी के द्वारा दान–पत्र सं0 7638 के निष्पादन पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है जिस कारण से **धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के परंतुक में वर्णित विधिक प्रावधान के आलोक में पंजीकृत दान–पत्र, जिसके निष्पादन का प्रत्याखान नहीं किया गया है, को साबित किये जाने हेतु किसी भी अनुप्रमाणित साक्षी को बुलाया जाना आवश्यक नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत कर दान–पत्र सं0 7638, दिनांक 18.04.1963 की प्रमाणित प्रति को लोक दस्तावेज के रूप में प्रदर्श अंकित किये जाने हेतु यह आवेदन दिया गया है। **धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अंतर्गत जहां मूल लोक दस्तावेज है वहां ऐसे दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है। अतः प्रतिवादीगण के इस आवेदन को न्यायहित में **स्वीकृत कर प्रतिवादी सं0 5, 6 की ओर से प्रदर्श – ए** अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। वाद आगामी दिनांक 01.08.2025 वास्ते अग्रतर कारवाई। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	